



# बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज०) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,

EMAIL ADDRESS :- ceobkr.lsg@rajasthan.gov.in ,Website :- bikanermc.org

क्रमांक / स्टेशनरी. / 2021 / ५४२०

दिनांक 27-4-2021

## संशोधित ई-निविदा सूचना

बीकानेर नगर निगम के पत्रांक / स्टेशनरी / 2021 / 5183-85 दिनांक 19.04.21 को कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटर, लेजर प्रिन्टर / स्कैनर हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिए ई-निविदा सूचना जारी की गई है। उक्त निविदा के वित्तीय बोली प्रपत्र में कॉलम संख्या 4 में राजस्थान राजपत्र के अनुसार निम्नांकित संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व दर	संशोधित दर
1	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	7774 (मासिक)	8476 (मासिक)
		299 (दैनिक)	326 ( दैनिक)

निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथी	दिनांक 30.04.2021 सांय 06:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	दिनांक 01.05.2021 दोपहर 02:00 बजे

शेष शर्त यथावत रहेगी।

आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर  
दिनांक 27-4-21.....

क्रमांक / स्टेशनरी / 2021 / ५४२१

प्रतिलिपि:-

- प्रबन्धक ओसवाल डाटा प्रोसेसर को पत्र भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित ई-निविदा सूचना को [www.bikanermc.org](http://www.bikanermc.org), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in), <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने का श्रम करें।

आयुक्त  
नगर निगम, बीकानेर

## Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. :

Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed : \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

In the capacity of : \_\_\_\_\_


Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on        day of

Corporate Seal : \_\_\_\_\_

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]





**राजस्थान सरकार**  
**वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग**



क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017

जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

### परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपायन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 संपर्कित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपायन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

(लालमणि)  
 (विमल कुमार गुप्ता)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित है—

1. संविद, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य संचारण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव।
3. संविद, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्णु ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उच्च शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलवटर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोपाधिकारी।
14. समस्त उपायन संरक्षण।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्राली।

(लालमणि)  
 23/12/2020  
 संयुक्त शासन सचिव